सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:— 86 / प्रा0पत्र / 2025 — दायरा दिनांक :—09.04.2025

GCMS ID—2025 / 5

उनवान

1. अणदीदेवी पत्नी रामकुवार जाति मीना निवासी लुहारी कलां तह0 जहाजपुर जिला भीलवाडा।

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी राज।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के तहत घोषित किए जाने रास्ता

वकील प्रार्थीगण :— श्री चन्द्रप्रकाश जैन

वकील अप्रार्थीगण :— पेरोकार सरकार

—: आदेश :— दिनांक : 18.09.2025

प्रार्थी का मुख्य रूप से कथन है कि भूमि खाता संख्या 02 खसरा संख्या 628 रकबा 0.1295 हैक्टेयर, खसरा संख्या 629 रकबा 1.4650 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.5945 हैक्टेयर वाके ग्राम बटवाडी पटवार मण्डल उमर तहसील हिण्डोली में विस्थित है, जो प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, जिस पर प्रार्थीया निरन्तर रूप से काबिज काश्त चली आ रही है। प्रार्थीया अपनी उक्त खातेदारी भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त चली आ रही है, प्रार्थी की उक्त भूमि खसरा संख्या 628, 629 पर आने जाने हेतु बटवाडी जाने वास्ते रास्ते से सिवायचक भूमि खसरा संख्या 627 पर होता हुआ प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 628 की ओर से निकलता हुआ प्रार्थीया की भूमि खसरा संख्या 629 पर आता जाता है, जिस पर प्रार्थीया सदियों से आती जाती है एवं अपने ट्रेक्टर, ट्रोली व कृषि उपकरण आदि उक्त रास्ते से ले आती आ रही है, परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने एवं सिवायचक भूमियों की कीमत बढ जाने के कारण भविष्य में उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर सकते है, इसलिए प्रार्थीया उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की अधिकारिणी है, इस हेतु प्रार्थीया नियमानुसार रास्ते हेतु उपयोग होने वाली भूमि की कीमत जमा करवाने हेतु तैयार है। उक्त मौजूदा रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने हेतु पूर्व में तहसीलदार साहब से निवेदन किया था

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

परन्तु उनके द्वारा उपखण्ड न्यायालय में कार्यवाही कियेक जाने की कहने पर प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। प्रार्थीया की खाते की भूमि ग्राम बटवाडी पटवार मण्डल उमर तहसील हिण्डोली में विरिथत होने से माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क व तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 628 व 629 वाके ग्राम बटवाडी पटवार मण्डल उमर तहसील हिण्डोली जिला में आने जाने हेतु बटवाडी जाने वाले रोड से सिवायचक भूमि खसरा संख्या 627 पर प्रार्थीया की भूमि खसरा संख्या 629 तक पहुचने तक 15 फिट चोडा रास्ता घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड बटवाडी में दर्ज करने के आदेश फरमावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से तहसीलदार हिण्डोली की ओर से पत्रांक :–राजस्व/25/2169 दिनांक :–17.07.2025 से प्रस्तावित रास्ते के बाबत जॉच रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीया की बहस सुनी जाकर बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। वकील प्रार्थीया ने दौराने बहस कहा कि प्रार्थीया को अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 628, 629 जो कि वाके ग्राम बटवाडी पटवार मण्डल बासनी में स्थित है, पर आने जाने हेतु भूमि खसरा संख्या 627 जो कि राजकीय सिवायचक भूमि है, में से होते हुए 15 फुट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में घोषित किया जावे। इस बाबत तहसीलदार हिण्डोली द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता बताया गया है, उसकी घोषणा की जावे। प्रार्थी इस बाबत निर्धारित प्रतिकर राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण मे तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थीया को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा संख्या 627 सिवायचक भूमि में से 15 फिट चौडा रास्ता प्रस्तावित क्रिया गया है। उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीया की भूमि में आने जाने हेतु निकटतम व सुगम है। प्रार्थीया को चाहे गये रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया को अपनी खातेदारी भूमि खाता संख्या 02 के खसरा संख्या 628, 629 वाके ग्राम बटवाडी प0म0 बासनी

Email-sdohin[illegible]@gmail.com Phone no-7436276446

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

आने–जाने हेतु तहसीलदार हिण्डोली से प्राप्त प्रस्तावित रास्ते की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बटवाडी के खसरा 627 (राजकीय सिवायचक) में से 15 फीट चौडे रास्ते में कुल 0.0162 है0 भूमि काम में आवेगी। प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि खसरा 627 की डीएलसी राशि 4790000/रू– प्रति हैक्टेयर है, जिसमें से प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि 0.0162 हैक्टेयर भूमि की डी0एल0सी0 राशि 77598/रू– जिसकी दुगनी प्रतिकर राशि 155196/रू– को प्रार्थीया द्वारा निर्धारित मद में राजकोष में जमा करवाकर चालान की प्रति न्यायालय में पेश करने उपरान्त निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक :– 18.09.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

18/09/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446